प्रश्न सं. [क्र. 1210]

[24/3/2025]

कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

Email-commrewa@mp.nic.in

पत्र क्र.- 6/वि./यो./2022/.......... 2528

रीवा, दिनांक:-18 अगस्त 2022

प्रति,

कलेक्टर

जिला- सतना

18 AUG 2022

विषयः- सत्र 2021-22 में जनपद शिक्षा केन्द्र सोहावल, नागौद, उचेहरा, रामपुर बाघेलान व अन्य के बीआरसीसी द्वारा खेल सामग्री क्रय में की गई व्यापक अनियमितता पर जांच व कार्यवाही बाबत्। द्वारा श्री उदयभान चतुर्वेदी सिद्धार्थ नगर जिला सतना का आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2022

----00----

विषय के संबंध में आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शिकायती पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया शिकायती पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच कराकर प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत सहित शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(निलेश परीख)

संयुक्त आयुक्त(विकास)

रीवा संभाग, रीवा

पृ. क्र.- 6/वि./यो./2022/..........

रीवा, दिनांकः- अगस्त 2022

प्रतिलिपि

श्री उदयभान चतुर्वेदी सिद्धार्थ नगर जिला सतना।

संयुक्त आयुक्त(विकास)

रीवा संभाग, रीवा

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

.दयभान चतुर्वेदी
RIT एक्टविट्स एवं सामाजिक कार्यकर्ता
जिला-सतना (म.प्र.)

निवासः-
सिद्धार्थ नगर पोस्ट बिरला विकास
जिला-सतना (म.प्र.)
मो.9752670442

क्रमांक.........

दिनांक 18/8/22

शासनहित

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला सतना (म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान, कमिश्नर महोदय,
रीवा संम्भाग,रीवा

विषयः- सत्र 2021-22 में जनपद शिक्षा केन्द्र सोहावल, नागौद,उचेहरा,रामपुरबाघेलान व अन्य के बीआरसीसी द्वारा खेल सामग्री क्रय में की गई व्यापक अनियमित पर जॉच व कार्यवाही बावत् ।

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं सजग नागरिक होने की हैसियत से आप का ध्यान इस व्यापक शासनहितव लोकहित की ओर आकृष्ठ कराना चाहता हूँकि सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत सतना जिले के समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयक बी.आर.सी.को लेखन सामग्री,स्टेशनरी एवं अन्य मद से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में राशि आबंटित की गयी थी, जिसपर खेल-कूद में प्राथमिक शालाओ में पॉच हजार(5000) एवं माध्यमिक शालाओ में न्यूनतम दस हजार (10,000) प्रति शाला भुगतान किया जाना था। किन्तु सतना जिले में व्यापक भष्ट्राचार करते हुये कुछ चुनिंदा शालाओ एवं एकल या सीमित दुकानो को बी.आर.सी.सोहावल, ,उचेहरा,रामपुरबाघेलान व अन्य द्वारा भुगतान किया गया । जिन शाला प्रमुखो ने बी.आर.सी.ने निर्धारित कमीशन देने से मना किया गया, अथवा बी.आर.सी.सोहावल द्वारा निर्धारित एस.के.स्टोर एवं संस्कार ट्रेड़र्स दुकान सतना द्वारा खरीदी नहीं की गई, उन दुकानो के भुगतान नहीं किये गये।

(2). शालानिधि (कनटेंजेंसी मद) में न्यूनतम 12,500 तथा अधिकतम 75,000 रूपये छात्र अनुपात में अन्य सामग्री क्रय करने के शासन के आदेश है। किन्तु जिले के समस्त्

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

बी.आर.सी. द्वारा एकल या सीमित दुकानों में भुगतान किया गया है। सोहावल नागौद में व्यापक स्तर में कमीशन खोरी की गई है।

(3.) नागौद विकासखंड बी.आर.सी.द्वारा सतना जिले के बाहर की एकल दुकान संदीप बुक **स्टोर देवेन्द नगर पन्ना जिले की दुकान** को खेल सामग्री स्टेशनरी का भुगतान किया गया है। जबकि भुगतान की गई राशि की सामग्री अधिकांश स्कूलो में नहीं पहूचायी गई और भुगतान कर दिया गया है।

सतना जिले में लगभग खेल-सामग्री और स्टेशनरी के नाम पर लगभग एक करोड़ रूपये का घोटाला किया गया है।

अतएव श्रीमानं जी से अनुरोध है कि छात्रहित व शासनहित को ध्यान में रखते हुये गंम्भीरता पूर्वक अतिशीघ्र जॉच कराकर दोषी जनो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तथा की गई कार्यवाही से हमें भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उदयभान

भवदीय

उदयभान चतुर्वेदी

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)